महत्वपूर्ण

संख्या-19/2019/4436/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
भागीदारी भवन लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 जनवरी 2019

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-80 छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन लखनऊ के संचालन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-743/भा0भ0/2018-19, दिनांक-18.12.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-01-277-17- छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन लखनऊ-01-वेतन मद में रू0-3.36 लाख, 06-अन्य भत्ते मद में रू0-1.20 लाख, 08-कार्यालय व्यय में रू0-0.25 लाख एवं 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद में रू0-4.00 लाख अर्थात कुल रू0-8.81 लाख को अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-01-277-17-छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन लखनऊ-02-मजदूरी-02-विद्युत देय-10-जलकर जलप्रभार-15-गाडियों का अनुरक्षण/पेट्रोल की खरीद-17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व एवं 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय मद में उपलब्ध बचतों की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखाना/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-30 मार्च 2018 (यथा संशोधित) तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 का शासनादेश दिनांक-01 सितम्बर, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(8)-जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोग की जा रही है उस मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(9)-जिस मद में धनराशि अन्तरित की जा रही है,उसमें धनराशि की उपलब्धता निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-01-277-17- छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन लखनऊ-01-वेतन, 06-अन्य भत्ते, 08-कार्यालय व्यय एवं 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनविर्नियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव।

पृ0संख्या-19/2019/4436(1)/26-3-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बी0एम0–9 (भाग–1)

पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–80–छत्रपति शाहूजी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2018–19

(रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा–17–छत्रपति शाहूजी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ–00					
02–मजदूरी	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
09–विधुत देय	24.00	15.31	2.50	2.50	21.50
10–जलकर एवं जल प्रभार	10.00	10.98	2.98	2.98	7.02
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5.00	2.48	0.50	0.50	4.50
17–किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	10.00	1.58	1.58	1.58	8.42
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	0.75	0.75	0.25	0.25	0.50
योग	**50.75**	**24.10**	**8.81**	**8.81**	**41.94**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्तविभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान / विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा–17–छत्रपति शाहूजी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ–00					
01–वेतन	84.11	87.47	3.36	3.36	87.47
06–अन्य भत्ते	5.00	6.20	1.20	1.20	6.20
08–कार्यालय व्यय	3.25	3.50	0.25	0.25	3.50
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	24.38	28.38	4.00	4.00	28.38
योग	**116.74**	**125.55**	**8.81**	**8.81**	**125.55**

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– स्तम्भ–1 टंकण की त्रुटि के कारण पुनर्विनियोग द्वारा अधिक धनराशि आवंटित हो जाने के कारण बचत हो रही है।

(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:– संस्थान के 11 रिक्त पदो पर सैनिक कल्याण निगम से संविदा के आधार पर कार्यरत कार्मिकों के भुगतान हेतु एवं संविदा पर संचालित सफाई व्यवस्था के भुगतान हेतु।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 154 एवं 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या– आर0ई0–251 / दस–2018 दिनांक 08 जनवरी, 2019

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उ0प्र0, इलाहाबाद।

(रवि शंकर मिश्र)

अनु सचिव

समाज कल्याण विभाग।

शंकेश्वर त्रिपाठी

विशेष सचिव

वित्त विभाग।

हा0

so bm 9

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0संख्या– 19 /2018/ 4436(1)/26–3–2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/ वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, उ0प्र0 शासन।
6– निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।